भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1163

27 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

बागवानी उत्पादन में वृद्धि

1163. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि देखने के पश्चात वर्ष 2020-2021 में बागवानी उत्पादन भी 327 मिलियन टन के रिकार्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है और खाद्यान्न के उत्पादन से अधिक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बागवानी उत्पादन में वृद्धि पर औद्योगिक उत्पादन तथा लघु उद्यमों की बंदी के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या यह सच है कि औद्योगिक मजदूर कृषि क्षेत्र की तरफ गए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास के कारण कृषि तथा बागवानी उत्पादों का अधिक उत्पादन हुआ है; और

(च) यदि हां, तो रिकार्ड उत्पादन के दृष्टिगत मजबूरन बिक्री से किसानों के बचाने के लिए खरीद अवसंरचना को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2020-21 के लिए कुल बागवानी उत्पादन 329.86 मिलियन टन होने का अनुमान है जो खाद्यान्न उत्पादन 305.44 मिलियन टन से अधिक है।

(ग) से (ड.): भारत सरकार और राज्य सरकारों की सक्रिय नीतियों और पहलों और उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन पद्धतियों के कारण देश में बागवानी उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्षों से बागवानी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2.35% है।

बागवानी के समग्र विकास, क्षेत्रफल बढ़ाने, उत्पादन और फसलोपरांत अवसंरचना के निर्माण के लिए, सरकार वर्ष 2014-15 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक केंद्र प्रायोजित योजना, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रही है। एमआईडीएच के तहत, किसानों को

गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, फलों, सब्जियों, मसालों और बागान फसलों के क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती और फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना के निर्माण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) स्कीम के तहत बागवानी विकास के लिए राज्य सरकारों के परियोजना प्रस्तावों का भी समर्थन किया जाता है।

बागवानी के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, क्षेत्र कवरेज में 26.48 मिलियन हेक्टेयर से 27.23 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि, वर्ष 2020-21 में औसत से अधिक वर्षा से पानी की बेहतर उपलब्धता जैसे कई कारकों के कारण कुल बागवानी उत्पादन वर्ष 2019-20 में प्राप्त 320.47 मिलियन टन (2.83%) से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 329.86 मिलियन टन (दूसरा अग्रिम अनुमान) हो गया है।

(च): सरकार उन कृषि एवं बागवानी जिंसों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का कार्यान्वयन करती है जो शीघ्र खराब होने वाले प्रकृति के हैं और जिन्हें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। हस्तक्षेप का उद्देश्य इन जिंसों के उत्पादकों को चरम आवक अवधि के दौरान बंपर फसल के होने पर मजबूरन बिक्री करने से बचाना है। शर्त यह है कि या तो उत्पादन में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि या पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में बाजार की चल रही कीमतों में 10 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है जो इसके कार्यान्वयन पर उपगत नुकसान का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत), यदि कोई हो, वहन करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर साझा की जाने वाली हानि की कुल राशि की सीमा कुल खरीद मूल्य के 25 प्रतिशत तक प्रतिबंधित की गई है जिसमें खरीदी गई वस्तु की लागत+अनुमत ओवरहेड व्यय शामिल हैं। योजना के तहत, एमआईएस के दिशानिर्देशों के अनुसार, नियत बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) पर एक पूर्व निर्धारित मात्रा राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसियों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए या कीमतों को एमआईपी से ऊपर स्थिर होने तक, जो भी पहले हो, खरीद की जाती है।

वैज्ञानिक भंडारण अवसंरचना और विपणन अवसंरचना (भंडारण के अलावा) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार देश भर में एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना "कृषि विपणन बुनियादी ढांचा (एएमआई)" का कार्यान्वयन कर रही है। ग्रामीण गोदाम छोटे किसानों को अपनी उपज को लाभकारी कीमतों पर बेचने और मजबूरन बिक्री से बचाने के लिए उनकी धारण क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। एएमआई मांग वाहित, क्रेडिट लिंक्ड, बैक एंडेड सब्सिडी योजना है। लाभार्थियों अर्थात किसानों, व्यक्तियों, कृषि-उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, राज्य एजेंसियां आदि के लिए 25% और 33.33% की दर से सब्सिडी सहायता उपलब्ध है।

*****